<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर— आरसीटी / 11 / 2017</u>
<u>दांडिक प्रकरण क.—464 / 16</u>
संस्थापित दिनांक—09.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-	_
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—मो० शकील मंसूरी	। पुत्र मो० जलील मंसूरी उम्र 49
साल निवासी राउ जमिल कॉलोनी जिला इंदौर म०प्र०।	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:— श्री पठान अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337, 427 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 337, 427 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 279 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी दिलीप ने दिनांक 04.10.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह राउ इंदौर से आयसर 1110 नंबर एमपी 09 जीएफ 3715 में फूलगोभी भरकर कानपुर मंडी ले जा रहा था, गाडी को ड्राइवर मो0 शकील मंसूरी चला रहा था। तब चंदेरी निकलकर सिंहपुर मोड के पास पहुंचे कि गाडी का ड्राइवर वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर गाडी को रोड के नीचे पलट दिया जिससे दोनों को चोटें आई एवं बाहर सब्जी फैल गई थी। गाडी के पलटने से सब्जी का निकषण हो गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 476/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 279, 337, 427 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337, 427 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.10.16 को समय 21.00 बजे सिंहपुर मोड चंदेरी पर वाहन आयशर 1110 नंबर एमपी 09 जीएफ 3715 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न

कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 दिलीप भील की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 दिलीप भील ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह फूलगोभी भरकर कानपुर मंडी ले जा रहा था। उक्त गाडी को किसी व्यक्ति से उसने भेजा था जो अचानक पलट गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार वाहन कैसे पलटा, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध करना बताया है तथा कथन किया है कि उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटा दिया गया था। उक्त साक्षी ने अपनी रिपोर्ट प्रपी 01 में आरोपी द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने वाली बात लिखाने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन दिया था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

- 11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन एमपी 09 जीएफ 3715 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)